## भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

(अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजनUContributory Health Service Scheme)
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना केंद्रों / डॉक्टरों द्वारा प्स्तुत की गई औषधियों आदि की खरीद (एल ई एस) के अतिरिक्त पर खर्च की गई घनरांशि की अदायगी के लिए आवेदन पत्र
APPLICATION FOR CLAIMING REIMBURSEMENT OF EXPENSES ON PURCHASE OF MEDICINES ETC. RECOMMENDED BY CHSS MEDICAL CENTRES I DOCCTORS (OTHER THAN UNDER LES)

भाग I-आवेदक द्वारा भरा जाए / Part I - To be filled in by the applicant


खर्च की गई धनराशि का विवरण / Details of expenses

| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { क्रम संख्या } \\ \text { SI. No. } \end{array}$ | रसीद (केश मेमो) / Cash Memo |  |  | औषधियों के नाम Name of the Medicine | औषधालय / अस्पताल जिसके द्वारा औषधियाँ प्रस्तुत की गई Medicine prescribed by Dispensary / Hospital |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | संख्या Number | दिनांक Date | राशि Amount रु./Rs. पि./P |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | $\cdots$ |  |  |  | मेडिकल स्टोर का नाम Name of Medical Shops |
|  |  |  |  |  |  |

संलग्न : 1. दवाओं का नुस्खा / Prescription
Enclosures: 2. रसीदे (कैश मेमो) / Cash Memos (. )

सेवा में,
आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of applicant
To,
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / Medical Officer - In - Charge
दिनांक / Date :

|  | औषघालय <br>  |
| ---: | ---: |


| - | यूनिट, भापअ केंद्र अस्पताल |  |
| :--- | :--- | :--- |
|  | Unit, BARC Hospital |  |

भाग II - सी एच एस एस औषधालय / भापअ केंद्र अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाए। Part II - To be filled In by Medical Officer CHSS Dispensary / BARC Hospital

| दावा की गई धनराशि Amount claimed |  | अस्वीकार की गई धनराशि का विवरण / Details of amounts disallowed |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{array}{r} \text { रूपये } \\ \text { R. } \end{array}$ | धनराशि / Amount | औषध का नाम / Name of medicine | कारण/Reasons |
|  |  |  |  |  |
| अनुमोदित की गई धनराशि Amount approved |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { रूपर्य } \\ & \text { Rs. } \end{aligned}$ |  |  |  |

धनराशि की अदायगी के लिए स्वीकार की गयी मदें (आयटम) चिकित्सा की दृष्टि से खाध्घ पदार्थ/ कीटाणु नाशक/ प्रसाधन सामग्री तथा सौंदर्य सामग्री नहीं होनी चाहिए।
The items allowed for reimbursement are not purely food / disinfactant / toilet articles but are 'ethical' products from the medical point of view

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/M.O. In-charge

औषघालय
Disp.
$\qquad$ यूनिट / भापअ केंद्र अस्पताल Unit, BARC Hospital

अध्यक्ष, चिकित्सा प्रभाग / Head, Medica[ Division

* यदि स्वीकृत धनराशि 250/- रूपये से. अधिक हो अथवा शल्य चिकित्सा उपकरणो के लिये दावा किया गया हो।
* If the amount admitted exceeds Rs.250/ or if the claim is for surgical applications.

सहायक लेखा अधिकारी (एम) / A.A.O. (M)


